

## भाग-5

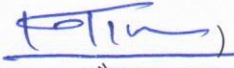
(इस वन प्रभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकरण अधिकारी को अवर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है )

जनपद फतेहपुर में इंद्रप्रस्थ गैस लि० द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 19 (कानपुर-प्रयागराज रोड) के किमी० 507.50 से किमी० 519.00 लम्बाई 11.50 किमी० में एच०डी०डी० तकनीक के माध्यम से 12" (300 एमएम) व्यास के कार्बन स्टील गैस पाईप लाईन बिछाने में प्रभावित 0.3450 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के संबंध में।(प्रस्ताव सं० एफपी/यूपी/पाईप लाईन/60933/2020)

राज्य सरकार की सिफारिशें-पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-1258/81-2-2021-800(44)/2021, दिनांक 11 नवम्बर, 2021 के द्वारा प्रस्ताव पर मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी की संस्तुति के आधार पर संस्तुत।

(उपर्युक्त भाग-ख या भाग-ग या भाग-घ में से किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गयी प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाये।)

हस्ताक्षर

(  )

नाम और पदनाम  
सरकारी मोहर

दिनांक :- 11.11.2021.

(आशीष तिवारी)  
सचिव  
पर्यावरण, वन एवं  
जलवायु परिवर्तन विभाग,  
उत्तर प्रदेश शासन।